rojgar with ankit

POLITY

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण [Making Oath by Members]

(अनु० 188) – MLA/MLC

- शपथ का प्रारूप → अनुसूची (Schedule) -3
- शपथ राज्यपाल द्वारा दिलायी जाती है।

अधिवेशन और गणपूर्ति [Meeting and Quorum]

किसी भी सदन की कुल सदस्य संख्या का $\times$ 1/10

विधायी प्रक्रिया [Legislative Procedure]

⇒ साधारण विधेयक
Ordinary Bill

⇒ Money Bill धन विधेयक ⇒ कहां पेश होगा ? ⇒ केवल विधानसभा में

⇒ किसकी पूर्वानुमति के बाद पेश होगा ? ⇒ राज्यपाल

⇒ विधानपरिषद् इसे कितने दिन अपने पास रख सकती है ?
14 day's

साधारण विधेयक ⇒ कहां पेश होगा ? ⇒ किसी भी सदन में (In either House) ⇒ विधानसभा / विधानपरिषद्

Ordinary Bill

ex. ⇒ विधानसभा में पेश (Introduced in LA)

→ चर्चा (Debate)

→ पारित → साधारण बहुमत (Simple majority)

→ विधानपरिषद् → पेश, चर्चा

→ पारित - साधारण बहुमत

⇓

Governor (राज्यपाल)

→ अस्वीकार (Reject) / → ऐसे संशोधन करे जिससे विधानसभा सहमत न हो।

→ 5 माह तक बिल को अपने पास रखे।

→ इनमें से अगर किसी भी शक्ति का प्रयोग करेगी तो 5 माह के पश्चात् बिल अपने आप पारित

Note :→ विधानपरिषद्

विधानसभा द्वारा पारित किसी भी Bill को समाप्त नहीं कर सकती।

Ex:→ विधानपरिषद् में पेश

चर्चा, पारित - साधारण बहुमत

⇓

विधानसभा → पेश, चर्चा

Art. 200

राज्यपाल

- हस्ताक्षर
- हस्ताक्षर करने से मना

← पारित / अस्वीकार / ऐसे संशोधन करेगी जिससे विधानपरिषद् सहमत न हो / 5 माह तक बिल अपने पास रखे।

• पुनर्विचार के लिए वापस

इन शक्तियों का प्रयोग यदि विधानसभा, विधानपरिषद द्वारा पारित विधेयकों पर करती है, तो बिल समाप्त हो जाता है।

• राष्ट्रपति के लिए आरक्षित

इस प्रकार विधानसभा, विधानपरिषद द्वारा पारित विधेयकों को समाप्त कर सकती है।

* भारत का निर्वाचन आयोग *

[Election Commission of India]

Part (भाग) → 15, Art. 324 - 329

→ संवैधानिक निकाय (Constitutional body)

→ स्थापना ⇒ 25 Jan. 1950

मतदाता दिवस (Voter's day)

⇒ निर्वाचन लोकतंत्र का आधार होता है। (Base of Democracy Election)

Art. 326 ⇒ कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसकी आयु (Age) 18 या 18 वर्ष से अधिक है, मतदान कर सकता है।

⇒ पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी जिसे 61 CA 1989 के द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।

⇒ मतदान का अधिकार (Right of Voting) → वैधानिक अधिकार (Legall Right) है।
यह संवैधानिक (Constitution) / मौलिक अधिकार (Jundamental Rights) नहीं है।

⇒ निर्वाचन आयोग का गठन (Composition of Election Commission
Art. 324

⇒ 1989 से पहले यह एकल सदस्यीय निकाय (Single member body) था।

⇒ पहली बार 1989 में इसे बहुसदस्यीय निकाय (Multi member body) बनाया गया।
एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त (One - chief election Commissionar and other election Commissionar) वर्तमान में ऐसे ही है।

⇒ मुख्य निर्वाचन आयुक्त
⇒ अन्य ,, ,, } नियुक्ति → राष्ट्रपति द्वारा (By the president)

कार्यकाल (Tenure) → मुख्य निर्वाचन आयुक्त – 6 वर्ष / 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो।

→ अन्य ,, ,, ↳ 6 वर्ष / 62 वर्ष की आयु

⇒ त्यागपत्र [Resignation] ⇒ राष्ट्रपति को

⇒ हटाने की प्रक्रिया [Removal process] ⇒ मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief election Commissinor)

⇒ इन्हें उसी प्रकार पद से हटाया जाता है जिस प्रक्रिया से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है

अन्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

निर्वाचन आयोग के कार्य / शक्तियां (Powers / junction's of election Commission)

(1) मुख्य कार्य निर्वाचनों का संचालन करना
Main junction - Conduct of the election -

① राष्ट्रपति
② उपराष्ट्रपति
③ LS
④ RS
⑤ विधानसभा
⑥ विधानपरिषद

① President
② Vice-president
⑤ Legislative Assembly
⑥ Legislative Council